

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

“प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021”

पीठासीन अधिकारी- विनोद कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
14 / 2021

दायर दिनांक
07.04.2021

निर्णय दिनांक
09.11.2021

अनवान

1. श्यामकंवर पत्नी भंवरसिंह जाति राणावत राजपूत उम्र वयस्क निवासी गुमानपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

प्रार्थीया

बनाम

1. प्रतापसिंह पिता भवानीसिंह जाति राजपूत उम्र वयस्क निवासी गुमानपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. मांगू पिता पीता जाति भील उम्र वयस्क निवासी गुमानपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. फतेहसिंह पिता भवानीसिंह जाति राजपूत उम्र वयस्क निवासी गुमानपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
4. गोदू पिता किशना जाति भील उम्र वयस्क निवासी गुमानपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
5. नाथूसिंह पिता भवानीसिंह जाति राजपूत उम्र वयस्क निवासी गुमानपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
6. हरिसिंह पिता भवानीसिंह जाति राजपूत उम्र वयस्क निवासी गुमानपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

अप्रार्थीगण

उपस्थिति:- अधिवक्ता श्री प्रकाश चन्द्र भाम्बी

प्रार्थीया

—:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम::—

—:: निर्णय ::—

वकील प्रार्थीया व प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट के पूर्व में दिनांक 07.04.2021 को प्रस्तुत किया। वकील प्रार्थीया आज दिनांक को प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 में राजीव गांधी सेवा केन्द्र रोलिया में हाजिर हुए। वकील प्रार्थीया के निवेदन पर बहस एक तरफा बाबत निवेदन किया जो स्वीकार करके जाकर बहस सुनी गई। जिसमें वकील प्रार्थीया ने बताया की मामला पत्थरगढ़ी का है, जिसमें मात्र खातेदार अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी/सीमांकन कराना चाहता है, वकील प्रार्थीया ने बताया कि मौजा गुमानपुरा पटवार हल्का रोलिया तहसील कपासन में स्थित आराजी संख्या



221, 223, 225, 226 कुल किता 4 रकबा 1.88 है0 कृषि भूमि की प्रार्थीया खातेदार काश्तकार है तथा वह अपनी आराजीयात की पत्थरगढी/सीमांकन कराना चाहते है। चूंकि पक्षकारान के आराजीयात के मध्य निशानात नहीं होने से प्रार्थीया व अप्रार्थीगण के मध्य विवाद बना रहता है, अप्रार्थीगण प्रार्थीया की आराजीयात में अन्दर घुस जाते है व घुसने का प्रयास करते है। जिससे पत्थरगढी/सीमांकन कराया जाना आवश्यक है। सबुत में हाल जमाबन्दी की नकल पेश की है। अतः प्रार्थीया की आराजीयात की पुख्ता पत्थरगढी कराये जाने का आदेश फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया व वकील प्रार्थीया को सुना। प्रस्तुत खाते की नकल सम्वत् 2074-2077 तक के मुताबिक उपरोक्त वर्णित आराजीयात के प्रार्थीया खातेदार काश्तकार है जो अपनी आराजीयात की पत्थरगढी/सीमांकन कराना चाहता है, जिससे पक्षकारान के मध्य हमेशा विवाद नहीं रहें व विवाद समाप्त हो जावे। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा मौजा गुमानपुरा पटवार हल्का रोलिया तहसील कपासन में स्थित आराजी संख्या 221, 223, 225, 226 कुल किता 4 रकबा 1.88 है0 कृषि भूमि की फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन (पत्थरगढी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में प्रस्तुत करे। सीमांकन (पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार कपासन को 1000/- रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीया से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर मजमेआम में सुनाया गया।



(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन